(ख) क्या यह सच है कि आरंभ में इस पर व्यय करने के लिए 12.18 करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता थी; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दी जायेगी तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) योजना आयोग से गृह मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत-नेपाल सीमा विकास बोर्ड की स्थापना किया जाना

4673. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी और अपराधों को रोकने तथा वहां अपने संसाधनों की सुरक्षा करने की दृष्टि से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एक भारत-नेपाल सीमा विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए योजना आयोग ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड की स्थापना कब तक कर दी जाएगी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) योजना आयोग से ऐसा कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

Adoption of Hindutva by Merat Muslims

4674. PROF. A. LAKSHMI SAGAR:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the report appearing in the 'Indian Express' dated 27th June, 1998, captioned where VHP tells Muslims to abandon Islam, reclain Hindutva;

(b) if so, whether Government have obtained the factual position in the matter; and

(c) what are the details thereof stating the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) As per information received it is claimed that Merats are the descendants of an ex-Rajput ruler of Ajmer, and got converted to Islam during the time of Mughal rule. It is also claimed that the life style of Merats is such that they follow the traditions/rituals of both Hinduism and Islam and lately they have started gravitating towards Hinduism.

Article 25 of the Constitution of India guarantees the right of choice of religion to its citizens. The State Governments, which are primarily concerned with the maintenance of "Public Order" are advised, from time to time, for taking action against persons spreading ill-will, hatred or disharmony between members of different communities as per provisions of various laws. State Governments also have a duty to ensure that no conversion takes place due to coersion or fraud.

TV Sets catch Secret Messages of Cops

4675. SHRI ANANTRAY
DEVSHANKER DAVE:
SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have seen newspaper report captioned "TV sets Delhi Cops secret message" appearing in 'Hindustan Times' New Delhi, of 13th July, 1998;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps being taken to upgrade the wireless system by providing privacy, caller identification and incryption facility in order to protect VVIP security in Delhi; and

(d) what action has been taken to ensure secrecy in the matter so that the security is not jeopardised?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (d) Yes, Sir. The news-item in question contained a report that transmission of

messages on Delhi Police wireless sets regarding VIP movements was in danger of being intercepted by terrorist organisations as these could be heard on television sets in several parts of the city. This is not factually correct. Such transmission is made on UHF band and cannot be heard on the T.V. sets as T.V. broadcast in Delhi is available on VHF band. However, Delhi Police have plans to purchase a state-of-art Ultra High Frequency (UHF) Digital Trunked Radio System with privacy, caller identification and encryption facilities for improved functioning of their communication network.

महिलाओं पर अत्याचार

4676. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में महिलाओं के प्रति अत्याचारों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इन अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) गत पांच वर्षों अर्थात् 1993-1997 तक के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में वर्ष वार और राज्य-वार उपलब्ध सूचना संलग्न (विवरण) में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराध का पंजीकरण करना, जांच-पड़ताल करना, पता लगाना और उसे रोकना मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर इस बात पर बल देते हुए राज्य सरकारों को लिखती आ रही है कि महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में निवारात्मक और दंडात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार भी उन्हें अधिक सख्त बनाने की दृष्टि से मौजूदा कानूनों में आशोधन और संशोधन कर रही है।

विवरण

1993 से 1997 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध की घटना

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993	1994	1995	1996	1997
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	8335	10434	9162	9607	10748
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	85	68	106	95
3.	असम	1491	1610	2917	2793	1828
4.	बिहार	1896	3709	4772	5349	4289
5.	गोवा	93	79	143	82	189
6.	गुजरात	3431	3775	4393	5139	4680
7.	हरियाणा	1640	1779	3042	2335	2166
8.	हिमाचल प्रदेश	729	744	786	801	789
9.	जम्मू व कश्मीर	907	904	815	1210	1421
10.	कर्नाटक	3002	5739	5996	5379	5851
11.	केरल	1191	1612	2072	2916	4149
12.	मध्य प्रदेश	11378	13535	15416	14959	14940